इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 92] भोपाल, मंगलवार, दिनांक 8 मार्च, 2011—फाल्गुन 17, शक 1932

जल संसाधन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 8 मार्च 2011

क्र. एफ 20-52-2000-पी-1-इकतीस.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल एतदद्वारा तदर्थ नियुक्तियों के नियमितीकरण के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्,:—

नियम

1. **संक्षिप्त नाम, प्रारंभ तथा अवधि.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश तदर्थ नियुक्तियों का नियमितीकरण नियम—2011 है.

(2) यह नियम मध्यप्रदेश राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे.

(3) यह नियम मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से एक वर्ष की कालावधि का अवसान हो जाने पर प्रभावहीन हो जाएंगे.

2. **अध्यारोही प्रभाव.**—यह नियम इस विषय पर तत्समय प्रवृत्त किन्ही अन्य नियमों या आदेशों में अन्तर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी प्रभावी होंगे.

3. **परिभाषाएं.**—इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) अनुसूची में, वर्णित किसी पद के संदर्भ में ''नियुक्ति प्राधिकारी'' से अभिप्रेत है, ऐसे पद पर नियुक्ति करने के लिए सक्षम प्राधिकारी,

(ख) ''अनुसूची'' से अभिप्रेत है, इन नियमों से संलग्न अनुसूची.

4. **व्याप्ति तथा लागू होना.**—ये नियम अनुसूची में वर्णित ऐसे राजपत्रित पदों पर सीधी तदर्थ नियुक्तियों के नियमितीकरण को लागू होंगे, जिनका नियमितीकरण मध्यप्रदेश तदर्थ नियुक्तियों का नियमितीकरण नियम, 1986 तथा 1990 के अधीन किसी कारण से चाहे वह कुछ भी क्यों न हो, नहीं किया जा सका था.

5. **नियमितीकरण के लिए पात्रता.**—कोई अधिकारी, जो अनुसूची में वर्णित पद पर तदर्थ रूप से सीधे नियुक्त किया गया है, नियमितीकरण के लिए विचार किया जाएगा यदि—

(एक) तदर्थ आधार पर उसकी नियुक्ति हेतु आदेश 31 मार्च, 1986 तक जारी किये जा चुके थे, किन्तु किसी कारणवश नियमित नहीं हो सका था.

(दो) वह, उस तारीख को अर्थात 31 मार्च, 1986 को कार्यरत था और तदर्थ आधार पर उसकी नियुक्ति की तारीख से मध्यप्रदेश राजपत्र में इन नियमों के प्रकाशन होने तक लगातार सरकारी सेवा में हो.

(तीन) वह, तदर्थ आधार पर धारित पद को लागू विद्यमान भरती नियमों में नियमित नियुक्ति के लिए विहित की गई अपेक्षित अर्हता रखता हो.

6. **विभागीय छानबीन समिति का गठन.**—(1) विभाग द्वारा एक विभागीय छानबीन समिति गठित की जाएगी.

(2) समिति में एक अध्यक्ष तथा उतनी संख्या में सदस्य होंगे, जितनी कि नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अवधारित की जाए.

7. **चयन सूची का तैयार किया जाना.**—(1) समिति, अनुसूची में वर्णित पदों पर तदर्थ आधार पर नियुक्त किए गए अधिकारियों के मामलों की इन नियमों के उपबंधों के अनुसार संवीक्षा करने के पश्चात् एक चयन सूची तैयार करेगी.

(2) मामलों की संवीक्षा करते समय संबंधित व्यक्ति की उपयुक्तता उनके गोपनीय प्रतिवेदन और उनके आचरण के आधार पर निर्धारित की जाएगी.

(3) चयन सूची में अधिकारियों के नाम तदर्थ नियुक्ति में उनकी ज्येष्ठता के क्रम में रखे जाएंगे. ज्येष्ठता, सेवा में खण्डता को विचार में लाए बिना तदर्थ आधार पर नियुक्त व्यक्ति द्वारा की गई सेवा की कुल अवधि के आधार पर निर्धारित की जाएगी.

8. **नियुक्तियां.**—नियुक्ति प्राधिकारी चयन सूची में से नियमित नियुक्तियां उसी क्रम में करेगा, जिस क्रम में उनके नाम सूची में आए हों.

9. **आरक्षण.**—(1) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण विहित किए गए रोस्टर अनुसार किया जाएगा.

(2) यदि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित पद नियमितीकरण के परिणामस्वरूप नहीं भरे जा सके हैं तो बैकलॉग/कैरीफार्वर्ड पदों के रूप में माने जाएंगे तथा ऐसे रिक्त पदों को बैकलॉग/कैरीफार्वर्ड पदों की पूर्ति हेतु प्रचलित नियम/निदेशों के तहत भरा जाएगा.

10. **चयन सूची से की गई नियुक्तियां भर्ती नियमों के अधीन की गई मानी जाएंगी.**—छानबीन समिति द्वारा तैयार की गई चयन सूची को तथा ऐसी चयन सूची से की गई नियुक्तियों को सुसंगत भर्ती नियमों के अधीन तैयार की गई चयन सूची तथा की गई नियुक्तियां माना जाएगा.

11. **ज्येष्ठता.**—(1) इन नियमों के अधीन नियुक्त किया गया व्यक्ति, नियमित नियुक्ति के आदेश की तारीख से ही ज्येष्ठता का हकदार होगा और ऐसे व्यक्ति को इन नियमों के अधीन नियुक्त किए जाने के पूर्व सुसंगत भर्ती नियमों के अनुसार नियुक्त किए गए व्यक्तियों के नीचे रखा जाएगा.

(2) यदि दो या दो से अधिक व्यक्तियों को एक साथ नियुक्त किया गया हो, तो उनकी पारस्परिक ज्येष्ठता नियुक्ति के आदेश में वर्णित क्रम में अवधारित की जाएगी.

12. **सेवा की समाप्ति.**—तदर्थ आधार पर नियुक्त किये गये अधिकारियों की सेवा जो उपयुक्त नहीं पाये गये है, या जिसका मामला इन नियमों के नियम-5 के अधीन नहीं आता है, तत्काल समाप्त की जाएगी तथा सेवा समाप्ति पर वह एक मास का वेतन तथा भत्ते प्राप्त करने का हकदार होंगे, किन्तु उसे अर्धस्थायी सरकारी सेवक नहीं समझा जाएगा.

(अनुसूची)

(नियम 4 देखिए)

अनुक्रमांक (1)	विभाग का नाम (2)	पद का नाम (3)	पद संख्या (4)
1.	जल संसाधन विभाग	सहायक यंत्री (सिविल)	09

No. F-22-52-2000-P-1-XXXI.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, hereby, makes the following rules for regularisation of ad-hoc appointments nemely;—

RULLS

1. **Short title, commencement and duration.**—(1) These rules may be called the Madhya Pradesh Regularisation of Ad-hoc Appointment Rules, 2011.

(2) These rules shall come into force with effect from the date of their publication in the Madhya Pradesh Gazette.

(3) These rules shall cease to have effect on expiration of a period one year from the date publication in the Madhya Pradesh Gazette.

2. **Over riding effect.**—These rules shall have effect notwithstanding anything to the contrary contained in any other rules of orders on the subject for the time being in force.

3. **Definations.**In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) "Appointing Authority" in relation to any post mentioned in the Schedule means an authority competent to make appointment on such post;

(b) " Schedule" means a Schedule appended to these rules.

4. **Scope and Application**—These rules shall apply for the regularisation of direct ad-hoc appointments made on the gazetted post mentioned in schedule which could not be rgularized previously under the Madhya Pradesh Regularisation of Ad-hoc Appointment Rules, 1986 and 1990 due to any reason whatsoever.

5. **Eligibility for regularization**.—Any officer, who has been directly appointed on ad-hoc basis on the post mentioned in the Schedule, shall be considered for regularization if,—

(i) orders for his appointment on ad-hoc basis had been issued upto 31st March, 1986 but could not be regulatrized due to any reason.

(ii) he, on that date i.e. 31st March, 1986 was working and is in Government Service continuously from the date of his appointment on ad-hoc basis till the date of publication of these rules in Madhya Pradesh Gazette.

(iii) he, possesses requisite qualification prescribed for regular appointment in the existing recruitment rules applicable to the post held by him on ad-hoc basis.

6. **Constitution of Departmental Screening Committee.**—(1) There shall be constituted a Departmental Screening Committee by the Department.

(2) The Committee shall consist of a Chairman and such number of members as may be determined by the appointing authority.

7. **Preparation of Selection List.**—(1) The committee shall prepare a selection list after scrutinizing the cases of the officers appointed on ad-hoc basis on the post mentioned in the Schedule, in accordance with the provisions of these rules.

(2) While scrutinizing the cases the suitability of the persons concerned shall be assessed on the basis of their confidentail reports and their conduct.

(3) The manes of the officers in the selection list shall be arranged in the order of their seniority in the ad-hoc appoitment. The seniority shall be assessed on the basis of the total length of service rendered as ad-hoc appointee irrespective of break in service.

8. **Appointments.**—The appointing authority shall make regular appointments from the selection list in the order in whcih their names stand in the list.

9. **Reservation.**—(1) The reservation for the Scheduled Cates Scheduled Tribes and other Backward Classes shall be made in accordance with the prescribed roster.

(2) If the posts reserved for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classses are not filled as result of regularization these posts shall be taken as a backlog/carry forward post of the concerned classes and shall be filled as a backlog/carry forward posts within the provisions of existing rules/directions.

10. **Appointment made from the selection list shall be treated to have been made under the recruitment rules.**— The selection list prepared by the Screening Committee and the appointments made from such Selection List shall be treated as a Selection List, prepared and appointments made under the relevant recruitment rules.

11. **Seniority**.—(1) A person appointed under these rules shall be entitled to seniority only from the date of the order of regular appointment and shall be placed below the persons appointed in accordance with the relevant recruitment rules prior to the appointment of such person under these rules.

(2) If two or more persons are appointed together their seniority interse shall be determined in the order mentioned in the order of appointment.

12. **Termination of Services.**—The Services of the Officers appointmented on ad-hoc basis who is not found suitable or whose case is not covered under rule 5 of these rules shall be terminated forthwith and on such termination he shall be entitled to receive one month pay and allowances, but he shall not be deemed to be a quasi permanent government servant.

SCHEDULE
(See Rule-4)

S. No. (1)	Name of the Department (2)	Name of the post (3)	No. of Posts (4)
1.	Water Resources Department	Assistant Engineer	09

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
उमेश कुमार, उपसचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011.